भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2077
दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 को उत्तर देने के लिए

कुपोषित बालिकाएँ और गर्भवती महिलाएँ

2077. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में कुपोषित बालिकाओं और गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन हेतु राज्यों को राज्य-वार कितनी मात्रा में खाद्यान्न आवंटित किया गया है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक उक्त योजना से लाभान्वित होने वाली कुपोषित बालिकाओं/गर्भवती महिलाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) एवं (ख): सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करवाने वाली माताओं तथा किशोरियों (आकांक्षी ज़िलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14–18 वर्ष आयु वर्ग की) को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य जीवन-चक्र दृष्टिकोण अपनाकर कुपोषण के पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाले चक्र को समाप्त करना है। पूरक पोषण, पका हुआ गर्म भोजन तथा टेक होम रेशन के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को गेंहू आधारित पोषण कार्यक्रम (डबल्यूबीएनपी) तथा किशोरियों के लिए योजना (एएसजी) के अंतर्गत सब्सिडी वाली दरों पर खाद्यान्न — अर्थात गेहूँ, फोर्टिफ़ाइड चावल तथा श्री अन्न (मिलेट्स) तिमाही आधार पर आवंटित किए जाते हैं, ताकि पका हुआ गर्म भोजन और टेक होम रेशन तैयार किया जा सके।

(ग): गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम और किशोरियों के लिए योजना के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही तक आवंटित किए गए अनाज की मात्रा का विवरण अनुलग्न-। में दिया गया है ।

(घ): पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना से लाभान्वित होने वाली आधार-सत्यापित किशोरियों एवं गर्भवती महिलाओं की संख्या का विवरण अनुलग्नक–।। में दिया गया है।

******

<u>अनुलग्नक I</u>

<u>'कुपोषित बालिकाओं एवं गर्भवती महिलाओं' के संबंध में श्री अरुण कुमार सागर द्वारा पूछे गए दिनांक 12.12.2025 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2077 के भाग (ग) में उल्लिखित विवरण</u>

<u>गेंहू आधारित पोषण कार्यक्रम एवं किशोरियों के लिए योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय वर्ष 2025-26 (तृतीय तिमाही तक) के दौरान आवंटित किए गए खाद्यान्न की मात्रा का विवरण</u>

(मीट्रिक टन)

		डब्ल्यूबीएनपी				एसएजी			
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूँ	फोर्टिफाइड चावल	रागी	ज्वार	गेहूँ	फोर्टिफाइड चावल	रागी	ज्वार
1	अंडमान एवं निकोबार दीप	0	126.6	36.18	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	19757.3	29302.5	0	0	0	796.22	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	1804.61	0	0	0	305.39	0	0
4	असम	18702.51	37952.3	6143.94	0	2611.64	5223.29	849.24	0
5	बिहार	0	179634.53	0	0	0	4618.04	0	0
6	चंडीगढ़	297.58	210.56	87.36	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	36268.5	7014.96	1504.05	0	1571.21	0	104.01	0
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	441.67	173.34	34.53	0	0	0	0
9	दिल्ली	6348.52	6822.16	191.22	108.66	0	0	0	0
10	गोवा	70.8	1077.38	0	0	0	0	0	0
11	गुजरात	46611.4	9285.88	0	0	675.51	0	0	0
12	हरियाणा	19177.97	3086.43	0	2772.81	134	32.17	0	23.61
13	हिमाचल प्रदेश	4646.83	2840.66	0	133.64	235.54	108.71	0	17.91
14	जम्मू और कश्मीर	0	17862.78	0	0	0	571.96	0	0
15	झारखंड	18406.13	22060.97	2413.2	0	2754.4	0	293.88	0
16	कर्नाटक	48929.49	34260.76	0	4437.96	327.82	1229.34	0	82.8
17	केरल	14520.31	10095.33	0	0	400.91	0	0	0
18	लद्दाख	64.19	208.83	0	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	44.14	44.75	11.1	0	0	00	0	0
20	मध्य प्रदेश	89190.34	31630.21	0	0	980.14	1066.61	0	0
21	महाराष्ट्र	51957.6	67163.02	0	0	827.74	1195.63	0	0
22	मणिपुर	0	4984.01	487.53	731.28	0	706.13	74.37	111.54
23	मेघालय	4610.7	2942.38	0	709.71	515.76	328.21	0	67.17
24	मिजोरम	1197.72	1201.14	0	0	0	385.15	0	0
25	नागालैंड	0	1964.65	0	0	0	451.75	0	0

26	ओडिशा	43159.9	28972.5	0	0	5404.03	0	0	0
27	पुदुच्चेरी	0	374.23	0	0	0	0	0	0
28	पंजाब	12927.59	15302.51	0	0	362.5	392.71	0	0
29	राजस्थान	45004.29	12057.79	0	0	520.96	291.27	0	0
30	सिक्किम	93.37	0	0	38.74	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	35920.55	14594.38	0	0	773.63	0	0	0
32	तेलंगाना	12403.42	20832.68	0	0	0	0	376.26	0
33	त्रिपुरा	0	6950.02	0	0	0	698.51	0	0
34	उत्तर प्रदेश	242649.63	191651.51	0	0	2377.47	1018.91	0	0
35	उत्तराखंड	6606.2	1975.95	942.06	0	869.34	87.43	0	0
36	पश्चिम बंगाल	0	121658.25	0	0	0	0	0	0
	कुल	**779566.98**	**888388.89**	**11989.98**	**8967.33**	**21342.6**	**19507.43**	**1697.76**	**303.03**

<u>अनुलग्नक II</u>

'कुपोषित बालिकाओं एवं गर्भवती महिलाओं' के संबंध में श्री अरुण कुमार सागर द्वारा पूछे गए दिनांक 12.12.2025 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2077 के भाग (घ) में उल्लिखित विवरण

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना से लाभान्वित आधार-सत्यापित लाभार्थियों (Poshan Tracker के अनुसार), अर्थात् गर्भवती महिलाएँ एवं किशोरियों की संख्या का विवरण

	2022-23 *		2023-24 *		2024-25 *		2025-26 *	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**गर्भवती महिला**	**किशोरियां**	**गर्भवती महिला**	**किशोरियां**	**गर्भवती महिला**	**किशोरियां**	**गर्भवती महिला**	**किशोरियां**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	802	0	751	0	806	0	911	0
आंध्र प्रदेश	2,21,529	52,348	96,340	11,021	2,45,821	54,370	2,37,048	27,648
अरुणाचल प्रदेश	949	2,312	2,111	9,303	2,570	13,081	2,442	11,021
असम	2,01,569	1,17,386	1,68,708	1,43,438	1,74,323	3,92,314	1,65,812	3,38,510
बिहार	7,04,127	1,16,902	5,12,846	2,18,778	6,75,484	2,08,729	8,84,667	1,69,190
छत्तीसगढ	1,80,050	64,940	2,03,799	1,09,771	1,93,254	1,11,227	1,81,343	71,191
दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	3,654	0	4,711	0	3,584	0	3,796	0
दिल्ली	51,098	0	71,189	0	67,535	0	70,263	0
गोवा	1,408	0	4,741	0	3,672	0	3,369	0
गुजरात	2,47,660	52,358	2,64,999	69,873	2,25,999	67,291	2,39,579	55,708
हरियाणा	95,695	178	1,16,459	7,765	1,22,401	8,401	1,41,898	9,691
हिमाचल प्रदेश	25,900	1,801	41,254	16,596	35,255	16,875	33,674	15,440
जम्मू और कश्मीर	38,527	14,533	45,550	19,266	48,970	24,905	44,285	25,271
झारखंड	1,11,040	57,040	2,37,767	1,61,685	1,81,181	2,05,408	1,97,420	1,56,811
कर्नाटक	3,48,179	883	2,77,116	1,299	3,52,265	66,837	3,84,289	70,348
केरल	1,69,062	12,548	1,40,143	18,498	1,20,717	18,549	1,25,379	17,961
लद्दाख	827	0	863	0	891	0	858	0
लक्षद्वीप	222	0	436	0	409	0	430	0
मध्य प्रदेश	5,05,097	1,27,476	5,02,622	1,41,341	4,84,195	1,51,360	4,73,376	1,09,620
महाराष्ट्र	1,75,215	56,385	4,15,426	1,14,515	3,24,076	1,10,696	3,48,840	96,386
मणिपुर	14,258	44,968	7,419	42,177	11,112	43,613	10,125	32,784
मेघालय	3,701	5,177	13,476	36,542	8,888	31,930	14,521	44,094
मिजोरम	6,769	12,940	6,748	20,879	6,057	18,060	6,420	14,624
नागालैंड	76	1,587	2,214	10,362	1,237	17,334	2,449	18,581
ओडिशा	3,04,502	2,08,374	3,20,022	2,69,240	3,06,106	2,70,509	3,00,552	2,06,251

पुदुच्चेरी	1,011	0	3,710	0	3,157	0	3,517	0
पंजाब	64,743	59	1,05,251	27,801	93,841	34,148	82,806	31,753
राजस्थान	4,42,247	7,564	3,47,979	41,226	3,47,254	41,535	3,40,810	30,125
सिक्किम	1,255	5,255	1,652	7,849	1,436	7,357	1,360	5,510
तमिलनाडु	3,13,165	31,690	3,15,478	38,564	2,84,361	44,874	3,04,452	41,176
तेलंगाना	1,83,951	13,808	1,78,850	22,977	1,14,018	19,993	1,70,671	35,442
त्रिपुरा	21,947	17,394	20,103	29,241	17,703	32,353	17,493	26,523
केंद्र शासित प्रदेश-चंडीगढ़	3,531	0	3,387	0	3,490	0	3,608	0
उत्तर प्रदेश	18,31,152	46,141	18,60,372	2,49,445	16,53,503	2,04,754	13,78,365	1,08,376
उत्तराखंड	62,498	11,133	70,446	69,971	65,995	73,537	59,303	58,896
पश्चिम बंगाल	6,10,329	0	6,25,922	0	5,67,225	0	5,72,098	0
कुल योग	**69,47,745**	**10,83,180**	**69,90,860**	**19,09,423**	**67,48,791**	**22,90,040**	**68,08,229**	**18,28,931**

*संबंधित वित्तीय वर्ष के नवंबर महीने में मौजूद लाभार्थियों की संख्या